



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032020-218847
CG-DL-E-21032020-218847

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941

No. 1067]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

का.आ. 1195(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.1129(अ), तारीख 18 मार्च, 2020 को प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में, पृष्ठ 18 पर, प्ररूप-3 में "तीस दिन के भीतर उपरोक्त स्तंभ (7) के अनुसार करें" के स्थान पर "पंद्रह दिन के भीतर उपरोक्त स्तंभ (8) के अनुसार करें" पढ़ें।

[अधिसूचना सं. 21/2020/फा.सं.आईटी(ए)/1/2020-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव